रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 277] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 1972/ज्येष्ठ 12, 1894

No. 277] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 1972/JYAISTHA 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June 1972

S.O. 399(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Maintenance of Internal Security Act, 1971 (26 of 1971), the Central Government hereby constitutes for the purposes of the said Act an Advisory Board consisting of the following persons, namely:—

(1) Hon'ble Mr. Justice Jagjit Singh of the Delhi High Court.

(2) Hon'ble Mr. Justice V. D. Misra of the Delhi High Court.

(3) Hon'ble Mr. Justice— R. N. Aggarwal of the Delhi High Court

2. The Hon'ble Mr. Justice Jagjit Singh shall be the Chairman of this Advisory Board.

[No. 1/9/72-Poll(K).]

T. C. A. SRINIVASAVARADAN, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 1972

का० आ० 399(अ).—आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 (1971 का 26) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अभिप्रायों के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति है अर्थात :—

(1) माननीय श्री न्यायाधीश जगजीत सिंह,
दिल्ली उच्च न्यायालय के ।

(2) माननीय श्री न्यायाधीश वी० डी० मिश्र,
दिल्ली उच्च न्यायालय के ।

(3) माननीय श्री न्यायाधीश आर० एन० अग्रवाल,
दिल्ली उच्च न्यायालय के ।

2. माननीय श्री न्यायाधीश जगजीत सिंह इस सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष होंगे ।

[सं० 1/9/72-पोल (के)]

टी० सी० ए० श्रीनिवासवर्द्धन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972